न्यायालयः सिविल जज (जू0डि0), कालपी, जनपद जालौन।

मूलवाद सं0 37 / 2017

बृजकिशोर प्रति रामसागर

दिनांक 20.02.2019

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित। वादी की ओर से प्रतिस्थापन प्रार्थनापत्र कागज सं0 14क2 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादी बृजकिशोर की मृत्यु दिनांक 05.10.2019 हो गयी है, उनकी पत्नी की मृत्यु पूर्व में हो गयी थी, अतः उनके वारिशान को प्रतिस्थापित किया जाना न्यायहित में अपरिहार्य है। वादी की ओर से प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किया है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादी की ओर से प्रस्तुत प्रतिस्थापन प्रार्थनापत्र अंदर म्याद प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत वाद के अंतिम रूप निस्तारण हेतु वादी के विधिक वारिशान प्रतिस्थपित किया जाना आवश्यक है। उक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रतिस्थापन प्रार्थनापत्र 14क2 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

वादी की ओर से प्रस्तुत प्रतिस्थापन प्रार्थनापत्र 14क2 स्वीकार किया जाता है। वादी अविलम्ब संशोधन करे, पत्रावली वास्ते जवावदावा एवं तनकीह हेतु दिनांक 06.03.2019 को पेश हो।

सिविल जज (जू0डि0), कालपी,